बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo लेo3 / 3–11 / 2023– / योoविo,पटना, दिनांक फरवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय अंतर्गत विषय शीर्ष 28–02 संविदा सेवाएं हेतु कुल ₹ 7,63,000/– (सात लाख तिरसठ हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय में भुगतान हेतु विषय शीर्ष 28–02 संविदा सेवाएं अंतर्गत निम्नांकित सारणी में उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹ 7,63,000/– (सात लाख तिरसठ हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष 28–02
1	**2**	**4**
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, हाजीपुर	63,000
2	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, सीवान	7,00,000
	कुल योग	**₹ 7,63,000**
	(सात लाख तिरसठ हजार रूपये) मात्र।	

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, मांग संख्या–35, उपशीर्ष–0109–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड 35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2802 के तहत विकलनीय होगी, जिसके अंतर्गत बजट उपबंध है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालयों के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन होंगे।

4. उक्त राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति उपरोक्त सारणी में वर्णित क्षेत्रीय कार्यालयों के मांग के आलोक में (मानदेय एवं अन्य) दी गई है। इसी अनुरूप उनके द्वारा राशि का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. विपत्र कोड–35–2053000940109 (28–02) के तहत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत् संविदा पर तीन अनुसेवक के अतिरिक्त एक या दो अनुसेवक के लिए ही यह राशि स्वीकृत की जाती है।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों (अद्यतन) का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

8. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(डॉ0 नित्यानन्द सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः योगले03/3–11/2023– /यो0वि0,पटना, दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–11/2023– 185 स्वी0/यो0वि0,पटना, दिनांक 23 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/विभागीय बजट शाखा/आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

23.2.26

सरकार के उप सचिव